रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278074
CG-DL-E-20112026-278074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2026/कार्तिक 22, 1948
No. 678] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2026/KARTIKA 22, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2026

फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/13-विनियम(1)/2023 भाग(4) (ई-6748).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 की उपधारा (ii) के खंड (t) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उक्त अधिनियम की धारा 11 के खंड (e) के उपखंड (ii) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008 में—

(1) अनुसूची 'सी' में, क्रम संख्या 4 पर की प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

4	गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड	जीएसपीएल की उच्च दाब वाली गुजरात गैस ग्रिड जीएसपीएल की निम्न दाब गुजरात गैस ग्रिड

और इसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

4	जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड	उच्च दाब गुजरात गैस ग्रिड; निम्न दाब गुजरात गैस ग्रिड; हजीरा–अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली

(2) अनुसूची 'सी' में, क्रम संख्या 9 पर "गुजरात गैस लिमिटेड" से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

9	गुजरात गैस लिमिटेड	हजीरा–अंकलेश्वर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रणाली।

(3) अनुसूची 'डी' के खंड 3.1(ए)(v) में, "गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल)" शब्दों के स्थान पर "जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड (जीटीएल)" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(4) निपटान तंत्र की अनुसूची 'डी' के अनुलग्नक-1 में, "गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड" शब्दों के स्थान पर "जीएसपीएल ट्रांसमिशन लिमिटेड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा "गुजरात गैस लिमिटेड" से संबंधित प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./449/2026-27]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2008, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 20 नवंबर, 2008 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.807(ई) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 20 दिसंबर, 2010 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 986(ई) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2012, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 30 मई, 2012 को फा. सं. पीएनजीआरबी/एम/(सी)/11/अंतिम टैरिफ फाइलिंग के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2012, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 13 सितंबर, 2012 को फा. सं. पीएस/सेकी./एम(सी)/2012 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 28 फरवरी, 2014 को फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/100 के के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 1 जनवरी, 2015 को फा.सं.1-एमआईएससी/VI/आई/2007 के के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 12 जनवरी, 2016 को फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/110 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

9. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 27 मई, 2019 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल टैरिफ (3)/2019 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 27 मार्च, 2020 को एफ.सं.पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/ 2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019 खंड-II के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 24 नवंबर, 2020 को फा.सं.पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2014खंड-IV(भाग-1)(पी-1439) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में 24 नवंबर, 2020 को एफ. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2014 खंड-IV (भाग-1) (पी-1439) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 18 नवंबर, 2022 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/ 2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

14. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 18 नवंबर, 2022 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल/टैरिफ (3)/2019 खंड-IV (पी-4121) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

15. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 18 नवंबर, 2022 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/2-एनजीपीएल/टैरिफ(3)/2019 खंड-IV (पी-4121) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

16. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2023, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 28 मार्च, 2023 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/10-एनजीपीएल/टैरिफ(11)/2022 (पी-4142) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

17. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2024, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 15 अप्रैल, 2024 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/13-विनियम (1)/2023 (ई-4676) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

18. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2025, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/10-एनजीपीएल/टैरिफ(9)/2022 (ई-4124) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

19. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विनियम, 2025, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 07 जुलाई, 2025 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/13-विनियम (1)/2023 खंड-2 (ई-5763) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

20. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) तृतीय संशोधन विनियम, 2025, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/13-विनियम (1)/2023 खंड-2 (ई-5763) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2026

F. No. PNGRB/Com/13-Reg(1)/2023 Part(4) (E-6748).—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (2) of section 61 and powers conferred under sub clause (ii) of clause (e) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, -

(1) In Schedule C, at Sl. No. 4, the following shall be omitted

4	Gujarat State Petronet Limited	GSPL's High Pressure Gujarat Gas Grid, GSPL's Low Pressure Gujarat Gas Grid

And replaced with following

4	GSPL Transmission Limited	High Pressure Gujarat Gas Grid; Low Pressure Gujarat Gas Grid; Hazira–Ankleshwar Natural Gas Pipeline System

(2) In Schedule C the existing entry at Sl. No. 9 pertaining to "Gujarat Gas Limited" shall be omitted.

9	Gujarat Gas Limited	Hazira Ankleshwar Natural Gas Pipeline System

(3) In Schedule D, clause 3.1(a)(v), the words "Gujarat State Petronet Limited (GSPL)" shall be replaced with "GSPL Transmission Limited (GTL)".

(4) In Annexure 1 to Schedule D of the Settlement Mechanism, the words "Gujarat State Petronet Limited" shall be replaced with "GSPL Transmission Limited" and the entry pertaining to "Gujarat Gas Limited" shall be omitted.

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./449/2026-27]

Foot Note:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Regulations, 2008, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 20th November, 2008, vide G.S.R. 807(E).

2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i) on 20th December, 2010, vide G.S.R. 986(E).

3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2012, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 30th May, 2012, vide F. No. PNGRB/M/(C)/11/Final Tariff Filing.

4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2012, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 13th September, 2012, vide F. No. PS/Secy./M(C)/2012.

5. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 17th February, 2014, vide F. No. PNGRB/M(C)/48.

6. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 28th February, 2014, vide F. No. PNGRB/M(C)/100.

7. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 1st January, 2015, vide F. No. 1-MISC/VI/I/2007.

8. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2016, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 12th January, 2016, vide F. No. PNGRB/M(C)/110.

9. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2019, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 27th May, 2019, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019.

10. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 27th March, 2020, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-II.

11. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 24th November, 2020, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439).

12. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Third Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 24th November, 2020, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2014 Vol-IV(Part-1) (P-1439).

13. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th November, 2022, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-IV (P-4121).

14. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th November, 2022, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-IV (P-4121).

15. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 18th November, 2022, vide F. No. PNGRB/COM/2-NGPL/Tariff (3)/2019 Vol-IV (P-4121).

16. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2023, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 28th March, 2023, vide F. No. PNGRB/Com/10-NGPL Tariff (11)/2022 (P-4142).

17. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2024, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 15th April, 2024, vide F. No. PNGRB/Com/13-Reg (1)/2023 (E-4676).

18. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2025, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 29th April, 2025, vide F. No. PNGRB/Com/10-NGPL Tariff (9)/2022 (E-4124).

19. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Second Amendment Regulations, 2025, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4 on 7th July, 2025, vide F. No. PNGRB/Com/13-Reg(1)/2023Part-2 (E-5763).

20. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Third Amendment Regulations, 2025, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4 on 11th December, 2025, vide F. No. PNGRB/Com/13-Reg(1)/2023 Part-2 (E-5763).

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR